

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3587

(दिनांक 08.08.2018 को उत्तर के लिए)

**शिशु देखभाल अवकाश पर चल रहे कर्मचारियों
की जगह वैकल्पिक व्यवस्था**

3587. श्री पी. नागराजन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि वेतन सहित लंबे मातृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश के कारण महिला कर्मचारियों की अनुपस्थिति से कार्यालयों में कार्य में काफी ज्यादा व्यवधान होता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश पर चल रही महिला कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कर्मचारियों की कमी या कार्य से निपटने के लिए कर्मचारियों का प्रावधान करने हेतु मातृत्व/शिशु देखभाल अवकाश के दौरान कार्यदिवसों की गणना की है एवं कार्य का मूल्यांकन किया है;
- (घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और
- (ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) से (ड.) : वेतन सहित लंबे मातृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश के कारण महिला कर्मचारियों की अनुपस्थिति से कार्यालयों में कार्य में व्यवधान का विषय सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। मंत्रालय/विभाग मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश सहित किसी भी तरह के अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के कारण होने वाली कार्य घंटों की कमी से निपटने के लिए उपयुक्त अवकाश व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हैं। अवकाश रिक्तियों को शामिल करने के लिए अवकाश रिजर्व पदों के सृजन हेतु भी प्रावधान है। इस संबंध में केन्द्रीकृत रूप से किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जाता है
